SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE. 1898

In the Court of - एम0के0वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा
Criminal Case NO349/21 Complaint report made on-29-09-2021
(SUM/349/2021)
Name and address of the complainant –

म0प्र0राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी
केन्द्र **दिनारा** जिला शिवपुरी
———अभियोजन

बनाम्
रविन्द्र यादव
————आरोपी

Name, Preentage, caste and address of accused

क्र.	नाम	पुत्र का नाम	आयु	पता
1.	रविन्द्र यादव	जगतसिंह यादव	20 साल	सोनारी थाना भाण्डेर जिला दतिया म0प्र0

The offcence complained of, and date of, its alleged commission

आप दिनांक 03.09.2021 को समय करीब 13:00 बजे स्थान कृष्णा चौराहा, दिनारा थाना दिनारा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 05 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखे पाया गया ?

इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। आप अपराध स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो ?

(एम0के0वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा

The Plea of the accused and his examination (if any)-

अभियुक्त के हस्ताक्षर

(एम0के0वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा

The offence proved, if any, and in case under clasue(d), clause(e) clause(f) or clause(g), of Sub-section (I) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 29.09.2021 को घोषित)

1— . अभियुक्त **रविन्द्र यादव** के विरूद्ध धारा **34(1)(ए) आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत अपराध का सारांश पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाब के स्वीकार किया।

2— अभियुक्त द्वारा की गयी स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को **धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम** के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

3— दंड के संबंध में विचार किया गया। अभियुक्त प्रथम अपराधी है एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत दंड संबंधी प्रावधानों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पूर्व दोषसिद्धि के प्रमाण के अभाव को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा **34(1)(ए) आबकारी अधिनियम** के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं **1000/— (एक हजार)** रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की दशा में आरोपी को सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

4— प्रकरण में जप्तशुदा 05 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जावे।

स्थान : करैरा

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे बोलने पर टाईप किया गया।

–

(एम0के0वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा

(एम0के0वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा